न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 100/2020

ओमसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र जोरावरसिंह जाति दरोगा निवासी कबीरसर तहसील मलसीसर

आवेदक

बनाम

1. कल्याणसिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र केशाराम जाति दरोगा निवासी कबीरसर तहसील मलसीसर
2. बालूसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र केशाराम जाति दरोगा निवासी कबीरसर तहसील मलसीसर
3. भागीरथ उम्र 70 वर्ष पुत्र केशाराम जाति दरोगा निवासी कबीरसर तहसील मलसीसर
4. लक्ष्मणसिंह उम्र 58 वर्ष पुत्र केशाराम जाति दरोगा निवासी कबीरसर तहसील मलसीसर
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ तहसील मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 07.02.2022

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कबीरसर पटवारी हल्का पिलानी खुर्द की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 3.13 है0 आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिसमें आवेदक का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसमें आने जाने के लिए प्रार्थी भूमि ख0न0 358/211 रकबा 2.69 है0 गैर मुमकीन चारागाह में जाने वाली सड़क से अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 के खेत ख0न0 263 रकबा 2.43 है0 भूमि के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक अपने खेत ख0न0 309 में आवागमन करता है। इसके अतिरिक्त आवेदक के खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्त में प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 309 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 263 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक 16 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के स्थान पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 व 151 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारीज करने का निवेदन किया। जिसके जवाब में विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने यह कथन स्वीकारते हुये कि खसरा नम्बर 309 आवेदक सहखातेदार है, जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपने जवाब में अंकित किया कि खसरा नम्बर 309 का सहखातेदारन के मध्य बावहमी बंटवारा हो चुका है। आवेदक अपने बावहमी बंटवारे में आई भूमि हेतु रास्ता चाहता है जिसके लिये अन्य

पक्षकारान को बेवजह पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 व 151 सीपीसी पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता अनावेदकगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए खारीज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 व 151 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि धारा 251ए के तहत दर्ज प्रार्थना पत्र एक संक्षिप्त प्रकिया है जिसके लिये अनावश्यक रूप से अन्य पक्षकारान को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है साथ ही प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 व 151 सीपीसी खारीज फरमाया जावे तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार कर आवेदक को खेत खसरा नम्बर 309 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 263 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक 16 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्तागण एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र आदेश 1 व 151 सीपीसी खारीज किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए पर अंन्तिम बहस श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 309 के कोई कटानी रास्ता नहीं लगता है ना ही मौके पर अन्य कोई रास्ता अवस्थित है। अतः ख0न0 309 में जाने हेतु ख0न0 263 में 18 मीटर लम्बे व 05 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जा सकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधरी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है है साथ ही न्यूनतम मार्ग दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग 18 मीटर लम्बा होना बताया है। जो सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार लधुतम प्रतीत होता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 309 में आने–जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 263 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक 5 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दो गुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 07/2/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर